## (TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 47/2023-State Tax

Dated: 26 /06/2024

No. F.3 ( 02 )/Fin.(Exp-1)/2024-25/DS-1/998 .—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act,2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Government's Notification No. 30/2023-State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3(18)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/085, dated 29<sup>th</sup> December, 2023, namely:-

In the said notification, after the words "hereby notifies the following special procedure to be followed" the words and figures "with effect from 1st day of January 2024" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 31st July 2023.

Note: - The principal Notification No. 30/2023- State Tax, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3(18)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/085, dated 29<sup>th</sup> December, 2023.

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary (Exp.-I)

Dated: 26 1.06/2024

No. F.3 ( 02 )/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ 498

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.

6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

8. The Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.

9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.

10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

11. Website.

12. Guard File.

All. Comm. Cholicy

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary (Exp.-I)

E-1476366 SqsT

2015/SCTT-II

1030/ACTI-11 217/24

2) My

Scanned with CamScanner

## (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली सरकार वित्त (व्यय-।) विभाग दिल्ली राचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या-47 / 2023-राज्य कर

दिनांक: 26 / 06 / 2024

सं.फा.3( 02 ) / वित्त(व्यय-1) / 2024-25 / डीएस-1 / ५१४ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की घारा 148 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में, सं.फा.03(18) / वित्त(त्यय-1) 2023-24 / डीएस-1 / 085, तारीख 29 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित, इस सरकार की अधिसूचना सं. 30 / 2023-राज्य कर में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,"रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को" शब्दों के पश्चात् "1 जनवरी, 2024 से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 31 जुलाई, 2023 से अंतस्थापित हुए समझे जाएंगे ।

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 30/2023-राज्य कर, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, खण्ड-3, उपखण्ड (I)में सं.फा.03(18) / वित्त(त्यय–I) / 2023–24 / डीएस–I / 085, तारीख 29 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> (रविन्द्र कुमार) उप सचिव (व्यय-I)

सं.फा.3( 02 )/वित्त(व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/ **५ १**8 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः दिनांक: 26 / 06 / 2024

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ। 2 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली। संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई

नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

वेब साईट। 11

गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार) उप सचिव (व्यय–I)